(a) whether there is a Subordinate Rest House at the New Delhi Station;

(b) whether the same is reasonably furnished and accommodation and furnishings provided; and

(c) if not, the reasons for keeping the Capital's Subordinate Rest House so poorly furnished ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) In view of reply to (a) & (b) above, question does not arise.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Death of Shri Din Dayal Upadhyaya

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं, हमें खुशी है कि वह अच्छे होकर यहां सदन में आ गये हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"70 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा की गई इस मांग कि जनसंघ के भूतपूर्व प्रधान श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाय जिसे आवश्यक एवं प्रभावी शक्तियां प्राप्त हों।"

श्री रवि राय (पुरी): सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir, Government have received a copy of the joint statement dated June 22, 1969, issued by Members of Parliament belonging to various political parties in which a demand was made that a judicial Commission with investigative powers should be appointed to bring to book persons guilty of the murder of Shri Din Dayal Upadhyaya. The statement was issued after the Special Sessions Judge Varanasi, in his judgment dated June 9, 1969, had acquitted the two accused persons of the charge of murder of Shri Upadhyaya, while convicting one of them on a charge of stealing his belongings and sentencing him to 4 years' imprisonment.

It will be recalled that in a statement made in this House on February 14, 1968, I had informed the House that it was at the request of the Chief Minister, Uttar Pradesh that it had been decided to entrust the investigation to the Central Bureau of Investigation. It was, therefore, necessary to forward the judgment to the Government of Uttar Pradesh so that they may consider the question of filing an appeal against the acquittal of the two accused persons. The decision of the State Government is awaited.

The House will appreciate that notwthistanding the deep anxiety felt by a large section of the House, it would not be possible for me to say anything more at this stage about the future course of action which can be determined only after we know the decision of the State Government. I may, however, assure the House that we are most anxious that no responsible section of public opinion should have reason to feel that all that is possible is not done to find out the facts.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनकर थोड़ी-सी निराशा हुई है। इस मामले में हमने अब तक बड़े धैर्य से काम लिया। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। पहले यह कहा गया था कि जब से हत्या हुई तब से मामले को दबाने का प्रयत्न चल रहा है। पहले यह कहा गया कि उनकी मृत्यु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु रेल दुर्घटना में हुई। बाद में एक मामला बनाया गया कि हत्या करने वाले चोर थे और उन्होंने चोरी के लिए हत्या की। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसी वक्त कहा था कि चोरी के लिए उपाध्याय जी की हत्या नहीं हो सकती। इस हत्या के पीछे कुछ कारण हैं जिन कारणों का उद्घाटन किया जाना चाहिए।

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

हमने सी० बी० आई० को कुछ सूत्र भी दिये लेकिन हमारा मामला अदालत के विचाराधीन है यह समझ कर मौन धारण कर बैठे रहे। कुछ हमारे मित्रों की राय है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन अब अपना मौन तोड़ने का वक्त आ गया है और मैं यह पूछना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि जब वाराणसी के स्पेशल जज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दो अभियुक्त हत्या के आरोप से बरी किये जाते हैं तो फिर जुडिशिएल कमिशन नियुक्त करने में देर क्यों होनी चाहिए। मैं निर्णय का फैसले का एक अंश आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"The evidence of murder not having been proved against the accused, the problem of truth about the murder still remains."

क्या अपील में तथ्य का पता लग सकता है ? क्या अपील में नई गवाहियाँ ली जा सकती हैं ? क्या अपील में नये प्रमाण लाये जा सकते हैं ? स्पेशल जज ने कहा है कि उनकी सीमाएं हैं और वह इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हत्या राजनीतिक कारणों से हुई या अन्य किन्हीं कारणों से हुई। इसके सम्बन्ध में भी फैसले का एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूं :

"Whether the motive for this crime was political is not a point directly involved in the case, but this obviously is a question very much linked up with the identity of the killers. Theoretically, even if the accused were the killers, they might have been acting as the agents of a political group and it is always difficult to prove the negative. Nontheless, once the killers are found, the problem of motivation can be more confidently sorted out."

क्या अपील में हत्यारा कौन है इसका पता लग सका ? मुझे शक़ है कि कहीं अपील में जो चोरी के लिए एक अभियुक्त को सज़ा हुई है वह भी सजा जो चार साल की सज़ा है वह भी कम न हो जाय। गृह मंत्री महोदय जानते हैं कि मामला कमजोर है इसलिए अपील करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार से पूछना मामले को लटकाये रखना एक जुडिशिएल कमिशन बनाने के निर्णय से बचने के लिए एक अपील करा देना इस मामले के साथ न्याय करने का तरीक़ा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि अभी तक उत्तर नहीं मिला है। किसने हत्या की ? हत्या कहां की गई ? वाराणसी का स्पेशल जज कहता है कि यह कहना मुश्किल है :

"The evidence on record does not prove Shri Upadhyapa to have been alive at Varanasi."

सी० बी०आई० का सारा मामला यह है कि वाराणसी के बाद उनकी हत्या की गई। अभियुक्त राजघाट के स्टेशन पर चढ़े। जज कहता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वाराणसी में जीवित थे। फिर मामले से इस बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा कि उनके हाथ में पांच रुपये का नोट कहां से आया ? सी० बी० आई० इस रहस्य का उद्‌घाटन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका ?

तीसरी बात यह है कि हत्या डिब्बे में की गई या हत्या करने के बाद उनकी लाश रेलवे की पटरी पर रख दी गई ? जज का कहना यह है कि मेरा विश्वास है और इस बात पर यह सोचने का कारण है कि हत्या डिब्बे में की गई। उपाध्यक्ष महोदय, तकिये पर खून लगा था। चद्दर अभी तक नहीं मिली है और तौलिया जो मिला था उसकी जांच नहीं की गई।

जो रेलवे का कंडक्टर था उसको गवाही के लिये पेश नहीं किया गया, जिसने यह भी कहा कि अगर चोट लगने से उनकी मृत्यु होती -- और चोट रेल का खम्भा लगने के कारण हुई --- तो जिस तरह उनका शरीर पड़ा हुआ पाया गया उस तरह से नहीं पाया जा सकता। बाडी को टैम्पर किया गया है, यह अदालत का फैसला है।

मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब इतने रहस्यों से सारा काण्ड भरा हुआ है, जब देश की जनता का बहु-संख्यक भाग सारे काण्ड से उत्तेजित है और हमारे कार्यकर्ताओं के धैर्य की सीमा टूटने वाली है, तब एक उच्च अधिकार-सम्पन्न आयोग नियुक्त करने में देर करने का कारण क्या है ? उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद भी केन्द्रीय सरकार एक हाई-पावर्ड कमिशन बनाने का फैसला कर सकती है। मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसको फैसला करने में देर क्यों हो रही है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I understand the strength of the feelings of the hon. member and I share it. But the matter does not end there, because it would be a rather very embarrassing situation if the State Government decides to go in appeal before the High Court. When the matter is being considered by another judicial body, should another Judicial Commission go into it ? This is, really speaking, the issue. The Government of India are not the party in this matter to take a decision whether an appeal should be made or not. Whatever examination we made of the judgment has been forwarded to the State Government and that Government with the advice of its legal advisers would take a certain decision in the matter. It would not take long. In case it decides to go in appeal, then the fact must be admitted, whether one likes it or not, that a further judicial opinion will have to be expected. This is the legal position. Even then, I have certainly taken note of the strength of the feelings of his party, not only of his party...

SHRI RANGA (Srikakulam) : All parties.

SHRI Y. B. CHAVAN : All parties. I was going to say the same thing. It is not a question of whether it is the leader of one party or other. The matter involves the death of a leader of a political party and it is the responsibility of everyone of us to do the needful. I would merely plead for patience with the Government of India in this matter.

SOME HON. MEMBERS: How long ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात साफ नहीं हुई है। गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपील करने का फैसला करेगी...और मैं समझता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार से बिना पूछे नहीं कर सकती—तो फिर कमिशन बनाना मुश्किल होगा। क्या मैं इसको उल्टी तरह से नहीं रख सकता कि अगर केन्द्रीय सरकार एक कमिशन बनाने का फैसला कर ले तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपील फाइल करने की जरूरत नहीं होगी ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not think that would be a right method to adopt.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Why not ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Because going in appeal against a certain judgment is certainly a logical course to follow in the first instance.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पूछा था कि क्या अपील में अन्य बातों का पता लगेगा ? क्या नई गवाहियां आयेंगी, क्या नये प्रमाण आयेंगे ? गृह-कार्य मंत्री वकील रहे हैं, वह हम को बतलायें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं जरूर वकील हूं। लेकिन My attitude is not to debate the point; it is not to take a legalistic attitude and argue it with him. My attitude is to share his feelings. I can certainly argue the point, but I shall not do it. I am not arguing here as a lawyer ; I am arguing as one responsive to the feelings of the people in this country.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (BHOPAL) : What is he doing ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : (उज्जैन) : केन्द्र द्वारा सी० बी० आई० के जो अधिकारी जान लोवो जांच के लिये भेजे गये थे उन्होंने 18.2 से अपना काम प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

अपने परिश्रम से और अपनी योग्यता के आधार पर बड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे। उनका यह मत था कि यह जो हत्या की गई है वह राजनीतिक हत्या है और इसमें एक विशेष पार्टी का हाथ है। जब इस तरह की उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही थी और वह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और केन्द्रीय सरकार उनसे पूरी तरह सम्बन्ध बनाये हुए थी, जब सरकार को लगा कि देश में स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी, जान लोबो की रिपोर्ट से देश में स्थिति बहुत भयानक हो जायेगी, तब उसने उनको काम करने से रोका, और फोन द्वारा तत्काल यहां बुलाया।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने 9 दिनों के अन्दर जो इन्क्वायरी की और जो तथ्य सामने रखे क्या उनके कारण सरकार ने उनको वापस बुला लिया और उनके स्थान पर श्री बैंजल को नियुक्त किया ? जब श्री जान लोबो की नियुक्ति की गई थी तब उनको वापस क्यों बुला लिया गया ? उनकी जो नौ दिन की जांच है उसमें किस प्रकार के तथ्य हैं ? क्या उन्होंने सन्देह प्रकट किया है कि एक राजनीतिक दल का इसमें हाथ है ?

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के खुफिया विभाग द्वारा जांच की गई तो क्या उन्होंने शिवटहल, मुन्नीलाल, सत्यनारायण तिवारी, रामदास, टी० सी० और राजेन्द्र रस्तोगी, जो कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, के बारे में कुछ सन्देह बतलाया था ? जिस राम अवध को हत्या के सन्देह में अरेस्ट किया किया गया है, उसके बारे में क्या खुफिया विभाग का विचार है कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के जुलूस में शामिल हुआ था और वह मजदूर सभा का सदस्य है तथा उसने विधान सभा क्षेत्र में कम्यूनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया था ? क्या इस तरह की रिपोर्ट राज्य सरकार के खुफिया विभाग के पास है ?

मैं जानना चाहता हूं कि सारे तथ्यों के होने के बावजूद इसमें हेरा फेरी क्यों की गई ? रेल के डब्बे में जो पांव के निशान पाये गये थे उनकी एन्क्वायरी नहीं की गई। यह सारे तथ्य सामने आयें इसलिये क्या वह इसके बारे में कोई जांच कराने का विचार कर रही है और क्या वह इसके बारे में शीघ्र कोई निर्णय लेगी ? मैंने जान लोबो के बारे में जो कुछ कहा उसके बारे में मंत्री महोदय का क्या मत है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member has gone into the details of the investigation. I have not got all the facts. I do not think Lobo, DIG, CBI was called back. He was asked to investigate into the matter and he was on that investigation for practically all the time. He was naturally supplemented by another officer...(*An Hon. Member*: Why) ? Why this why ? When a person undertakes the investigation he seeks the assistance of any person whom he thinks he can make use of. I have answered the question about the enquiry.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनको विड्रा क्यों किया ? उनके स्थान पर एक डी एस पी की रैंक का अफसर भेजा गया। मेरा कहना यह है कि जब वह उच्च अधिकारी थे तब उनको वापस क्यों बुला लिया गया और उनके स्थान पर छोटे अधिकारी को क्यों भेजा गया ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not think Lobo was withdrawn. There is no question of Government asking him to come back.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I was happy when the hon. Minister said that he shared the feelings of the people, especially Members of Parliament who had sent the letter. From what he says later on I have a feeling that he just wants to do the opposite. The desire of the Members who sent that letter was that immediately a high powered judicial commission should be instituted. He should have agreed to that here. On the merits of the case the judge has said that the accused could not be convicted because of lack of evidence; prosecution could not adduce proper evidence. If there is no point of law involved in the appeal, it will be rejected on the ground that the available evidence had been examined by the lower court. It is a futile exercise

to go in appeal because it will only kill time.

So, there will be more delay in this case and you do more injustice to this case. Therefore, no purpose would be served if you take this case to the high court again in appeal.

Secondly, another point which emerges is this. The Chief Minister wrote to the Home Minister requesting that the CBI should enquire into the matter. The CBI is directly under the jurisdiction of the Home Ministry, and therefore, the Home Ministry could suggest to the State Minister that in view of the facts, and the circumstances, in an appeal not find out the truth. So, the Home Minister can write to the State Minister and appoint or institute judicial enquiry.

What is the truth? The truth is three-fold. First is the cause of the murder, or the truth about the murder. The truth about the murder could not be detected only when the murderers are found out. If you find out the murderers, then yon know what is the truth about the murder and the circumstances leading to it and other things. Secondly, it has been alleged that this is a political murder. In a democratic country, all care should be taken to see that, whoever be the political leader and to whichever party he may belong—Shri Din Dayal Upadhyaya had an eminent position and stature—any sort of fear should not be allowed to grow and all care should be taken by the Government to see that these fears are dispelled

The third, which is the most important thing, is this. When this case was given to the CBI, the CBI investigated the case in a most cavalier fashion. The CBI could not find out some of the answers to the most pertinent question. The judge has completely discounted the prosecution story that Shri Upadhyaya was thrown out the compartment and in the process he hit some pillar and got killed. The judge has said that the murder must have taken place in the compartment itself, bacause bloodstains have been found on the pillow cover, etc. and the CBI has not been able to establish it and about the mysterious nature of the murder,—how the showl and Pyjama were there and how that Rs. 5 note had beed inserted and so on and the nature and position of the body of Shri Upadhyaya which was found there, and such other things. Therefore in such an important investigation, if the CBI fails to find out material dues, we do not know where to go and how and to whom else to approach to make a competent enquiry. Therefore, the only solution is to do three things: First, to conduct an enquiry about the CBI; second, to find out the truth about the murder, and third, to enquire into the allegation whether it is a poltical murder. For doing this, it would be better if the Home Minister immediately institutes a high-powered judicial enquiry body, and instructs the Uttar Pradesh Government that there is no purpose in going appeal to the high court or the Supreme Court, as the case may be.

SHRI Y. B. CHAVAN: As I understand the line of argument of the hon. Member who put the question, he is trying to enlarge the scope of the Commission that he wants to be appointed, in which even the enquiry of the investigating officials of the CBI should be undertaken. I do not agree with this, because the investigation work itself was a very difficult task in this particular case, as every investigation has to go from the unknown to the known. In this matter, there are no direct witnesses for the murder. I have also studied the judgment as carefully as I could, in the limited time at my disposal. I find that the judgment is a very learned judgment; I must say it. It is a well-balanced judgment also; I must say that; nowhere, at no point in the judgment has the judge made any reflection on the investigation authority itself. The prosecution case is based on three extra-judicial confessions that one of the accused made, and all rests on circumstantial evidence because where there is no direct evidence, the prosecution case rests on circumstantial evidence.

The only thing that the judge found was that there was not enough evidence to accept the circumstantial evidence. This is a legitimate inference that a judge can make. Possibly, on the same set of evidence another judge can say that sufficient evidence is available. This is, really speaking, a point of argument. I did not want to argue the case in a legalistic manner but since the hon. Member has put in certain arguments, I had to make a mention of it. Therefore, I do not think that there is any intrinsic fault about the process of investigation as

[Shri Y. B. Chavan]

such. Well, even if we appoint a commission one cannot say whether it will be able to find out the truth. But, certainly, if it is ultimately found that an appeal is not admissible or the State Government takes a decision not to go in appeal then this matter can be gone into.

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : यह जो हत्या हुई है इसके बारे में सफाई होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, खास सैशंज़ जज ने जो बयान दिया है हत्या के सम्बन्ध में, उसको देखते हुए सच्चाई का पता लगाना अभी भी बाकी है। जो सच्चाई है उसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए होम मिनिस्टर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। अगर कोई हत्या होती है और खासकर पार्टी के किसी लीडर की हत्या होती है तो उसका जिम्मा सरकार पर आ जाता है, पुलिस पर आ जाता है।

मैं पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि जब खोज और जांच का काम राज्य सरकार कर रही थी तो क्या कारण है कि इस काम को केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर लिया ? किस के कहने पर, किसके इशारे पर, किसके प्रेसर पर केन्द्रीय सरकार ने इस भार को अपने ऊपर लिया ? क्या सरकार ने राज्य सरकार के प्रेसर में आकर ऐसा किया या जन संघ के प्रेसर में आकर ऐसा किया या किसी दूसरी पार्टी के प्रेसर में आ कर ऐसा किया ? इसकी सफाई होनी चाहिए।

क्योंकि इसकी सफाई होनी चाहिए, इसको भी मैं बता देता हूं। राज्य सरकार के अफसरों ने एक वस्त्र खंड पाया था जिसमें खून लगा हुआ था लेकिन जब केन्द्रीय सरकार ने जांच कार्य आरम्भ किया तो यह वस्त्र खंड उसको दे दिया गया। राज्य सरकार से जब यह वस्त्र खंड इनको दे दिया गया तो इन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार की जो खोज की दिशा थी और राज्य सरकार की जो खोज की दिशा थी, दोनों में अन्तर था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है और सही है तो क्या फर्क था ?

यह जो स्टोरी सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने पेश की गई थी कि उपाध्यायजी को धक्का देकर फेंक दिया गया, गाड़ी तेज़ चल रही थी, वह फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, रात बारह एक बजे आकर वह क्यों खड़े हो गए दरवाज़े पर, और अगर खींचकर उनको कमरे से लाया गया तो खतरे की घंटी क्यों नहीं बजाई और उसमें जब एक और आदमी था तो उसको क्यों नहीं जगाया, ये सब बातें जब अखबारों में आ रही थीं तो जन संघ को इसका प्रतिवाद करना चाहिए था। जन संघ की तरफ से गवाहियां पेश होनी चाहिए थीं, सबूत पेश किया जाना चाहिये था कि राजनीतिक कारणों से यह हत्या हुई है। मुझे दुख है कि ऐसा नहीं किया गया इसकी तरफ से।

जो हो गया सो हो गया। फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। उपाध्याय जी की हत्या के बारे में सही-सही तथ्य सामने आने चाहियें और एक कमीशन नियुक्त होना चाहिये जो सभी पहलुओं पर विचार करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करेगी?

SHRI Y. B. CHAVAN : About the facts or method of prosecution I am not holding any brief for any side. About the inquiry commission I have explained my position.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इन्होंने केन्द्रीय और राज्य सरकार की जांच और उनकी दिशा के बारे में पूछा है कि क्या दोनों में फर्क था ? इसका उतर नहीं आया है।

SHRI Y.B. CHAVAN : The State Gevernment themselves asked the Central Government to appoint an investigating authority and they appointed one. They naturally took the aid of the State CID also in this matter. There was no difference of opinion about the investigation.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के तुरन्त बाद श्री वाजपेयी और मैं बनारस गये थे। मैं मुग़लसराय गया, जहां मैंने उन के

शव को देखा, जिस स्थान पर उन का शव मिला था, उस स्थान को देखा और जो कपड़े मिले थे, उनको देखा। श्री उपाध्याय के सिर के पीछे एक बड़ा छोटा सा ज़ख्म था, जो कि किसी तेज़ धारा वाली चीज़ से लगाया गया था। उनके पुल-ओवर या बनियान पर खून का एक छोटा सा दाग़ था। कोई बड़ा ही एक्स-पर्ट किलर होगा, जिसने उनपर वार किया। उस समय मेरे साथ वहां के सीनियर सुपरिंटेडेंट आफ़ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, डी० एम० और ए० डी० एम० थे। मौके पर जाकर देखने के बाद सब का एक ही मत बना कि यह हत्या है और एक्सिडेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

उस हत्या का मोटिव क्या हो सकता है? उस के तीन मोटिव हो सकते हैं। एक मोटिव चोरी हो सकता है, परन्तु चोरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके पास से 26 रुपये और घड़ी मिल गई थी। उनके हाथ में पांच रुपये रख दिये गये थे। दूसरा मोटिव व्यक्तिगत शत्रुता हो सकता है, लेकिन कोई शत्रुता के कारण श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करेगा, यह कल्पना करना भी कठिन है। इसलिए मेरा —और पुलिस अफसरों तथा डी० एम० का भी—यही निष्कर्ष है कि यह एक पोलीटिकल मर्डर है।

पुलिस अफ़सरों ने कई पार्टियों के नाम लिये और मुझ से पूछा कि श्री उपाध्याय का उन पार्टियों के बारे में क्या रवैया था। माननीय सदस्य, श्री देवेन सेन, ने कहा है कि हमें सबूत पेश करना चाहिए था कि यह हत्या राजनीतिक कारणों से की गई है। सर्कमस्टैंशल ऐविडेंस हमारे पास है। उस समय हम यह बात कह सकते थे। जिस प्रकार गांधीजी की हत्या का पोलीटिकल दृष्टि से दुरुपयोग किया गया, उसी प्रकार यदि हम भी चाहते, तो कर सकते थे। यह हमारा बड़प्पन है कि हमने ऐसा नहीं किया। (**व्यवधान**) हमारे मनों में शक है - आज भी शक है और माननीय सदस्य, श्री कछवाय, ने उस का कुछ उल्लेख भी किया है। आज इस देश में इस प्रकार के तत्व हैं, जो वायलेंस में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का घृणित अपराध करने में भी कोई हिचक नहीं होती है। जिस ढंग से ट्राटस्की का मर्डर किया गया था, लगभग उसी प्रकार का मर्डर यह माना जाता है।

सवाल यह नहीं है कि जज ने क्या कहा। जज कहता है कि हत्या साबित नहीं हुई और इसलिए उसने अभियुक्तों को छोड़ दिया। उसने हमारे ला आफ एविडेंस के मुताबिक कार्य किया। इसलिए उसको दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन क्या इस देश की जनता और इस सदन का यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार से पूछे कि क्या इस देश में इस प्रकार पोलीटिकल मर्डर्ज़ होंगे और उन का पता नहीं लगाया जायेगा। मुझे भी रोज़ चिट्ठियां आती हैं —औरों को भी आती हैं—कि आप का मर्डर कर दिया जायेगा। मैं तो भगवान् और भगवद्-गीता की फ़िलासफ़ी में विश्वास करता हूँ कि जो होना है, वह होगा। मैं उन चिट्ठियों को फाड़ कर फेंक देता हूं। प्रश्न यह है कि अगर इस देश में इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो क्या यहां लोकतंत्र चलेगा। अभी श्री दीनदयाल उपाध्याय के साथ यह घटना हुई है, कल औरों के साथ भी हो सकती है। इसलिए इस बारे में पग उठाना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। कोई भी वकील या कानून से वाकिफ़ इस बारे में यही राय देगा कि अपील में सज़ा दो महीने बढ़ा दी जायेगी या कम कर दी जायेगी, और कुछ नहीं होने वाला है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यू० पी० सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राय मांगी है कि वह अपील करे या नहीं; अगर हां तो केन्द्रीय सरकार की ओर से क्या सलाह दी गई है, जब कि यह स्पष्ट है कि उस अपील से कुछ निकलने वाला नहीं है। और समय बीतने पर इस केस पर और राख बैठेगी और जनता की भावना भड़केगी। क्या यह बेहतर नहीं है कि जिस

[श्री बलराज मधोक]

प्रकार अमरीका में वारेन कमीशन बिठाया गया था, उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वयं एक कमीशन बिठाये, ताकि सब तथ्य सामने आयें ? उस कमीशन से श्री दीनदयाल उपाध्याय तो वापस नहीं आयेंगे। मार्टर की डैथ बड़े लोगों को ही मिलती है। श्री दीनदयाल उपाध्याय भाग्यवान थे कि उन्हें मार्टर की डैथ मिली। सवाल यह है कि आगे देश का क्या होगा। उस-पायंट आफ व्यू से क्या मंत्री महोदय इस मामले में कोर्ट में अपील करने का विचार न करते हुए तुरन्त कोई पग उठाने के लिए तैयार हैं ?

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member has raised a basic question and I do agree that government has certainly a responsibility in these matters. I do not want to shirk the responsibility in this matter. But, as I said, there is no question of our giving any advice. The only advice that I can give to the UP Government when I talk to the Chief Minister is that he should consider the matter on merits and decide it. I have not given advice one way or the other. It cannot be given and should not be given. But in case the State Government decides not to file an appeal then certainly this matter of appointing a commission shall be gone into.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now papers to be laid on the Table.

SHRI HEM BARUA: Sir, before you pass on to the next item, may I draw your attention to one relevant fact on which adjournment motions and calling attention notices have been given, namely, the fast by the school teachers, which is a very important matter ? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: So far as the issue of the primary school teachers is concerned......(*Interruptions*).

If you don't listen, then I will go ahead. The papers to be laid.

12.35 hrs.

Papers Laid on the Table

Review of Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd. Visakhapatnam, 1967-68 and Annual Report of Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd., Visakhapatnam.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT): On behalf of Shri C.M. Poonacha, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(1) Review by the Government on the working of the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam for the year 1967-68.

(2) Annual Report of the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-1403/69]

Statement on Rural Electrification Corporation

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : डा० कु० ल० राव की ओर से मैं ग्रामीण विद्युतीकरण नियम के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [*Placed in Library. See* No. LT-1406/69].

Audit Report, Railways, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Audit Report, Railways, 1969 (Hindi version) under article 151(1) of the Constitution read with sub-section 3(ii) of section 3 of the Official Languages Act, 1963.

(2) A copy of Appropriation Accounts, Railways, for 1967-68, Part I—Review (Hindi version).

(3) A copy of Appropriation Accounts, Railways, for 1967-68, Part II—Detailed Appropriation Accounts, (Hindi version).